भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : **2021**

उत्तर देने की तारीख : 28 जुलाई, 2014

**निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं का कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ना**

**2021. श्री पंकज बोराः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ-साथ अन्य राज्यों के विभिन्न संस्‍थानों के अध्ययन केन्द्रों के कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने की जानकारी है, जो कि डिग्री, डिप्लोमा और यहां तक कि पीएचडी प्रमाण पत्र भी प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो संबद्धता, मान्यताप्राप्ति यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मान्यताप्राप्ति, संबद्धता एवं अन्य निर्धारित प्रतिमानकों के संबंध में इन निजी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की निगरानी करने हेतु किसी तंत्र का विकास करने का विचार रखती है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) और (ख): जी, हां। वर्तमान में देश में 185 निजी विश्वविद्यालय और 17803 निजी कालेज हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने 127 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। जहां तक अध्ययन केन्द्रों का प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है न कि उनके अध्ययन केन्द्रों को। संबंधित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार के तहत संबंधित राज्य के अधिनियमों और सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन केन्द्र खोल सकते हैं। अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अध्ययन केन्द्र/बाह्य परिषद केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी भी निजी विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्थाओं को अपने क्षेत्राधिकार में ही दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के निर्देश देते हुए सार्वजनिक सूचना भी जारी की है। मेघालय स्थित सीएमजी विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के संबंध में शिकायतें दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पीएचडी कार्यक्रमों के संबंध में शिकायतों सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार की अनुमति के बिना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों और बाह्य परिषद/अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से संबंधित प्रोफेसर मिहिर के चौधरी, कुलपति तेजपुर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की है जो राज्यपाल सचिवालय द्वारा यथासूचित सीएमजी विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय की अनियमितताओं की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह रिपोर्ट इस निवेदन के साथ राज्यपाल सचिवालय, मेघालय और मुख्य सचिव, मेघालय सरकार को अग्रेषित की है कि विश्वविद्यालय के अधिनियमों या राज्यापाल सचिवालय/राज्य सरकार के अन्य कानूनों, जो भी उचित हों, के प्रावधानों के अनुसार सीएमजी विश्वविद्यालय के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

(ग) जी, हां। वर्तमान में देश में सभी निजी विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडलों के कानूनों से स्थापित किए गए हैं और ये विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मापदंडों की स्थापना और अनुरक्षण) विनियम, 2003 में किए गए प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जा रहे हैं। यदि निरीक्षण करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों की कोई भी कमी या अवहेलना पाई जाती है तो वह उन्हें इसमें सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। यदि अवसर प्रदान करने पर भी विश्वविद्यालय किसी भी विनियमों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो आयोग निजी विश्वविद्यालय को कोई भी पाठ्यक्रम आदि प्रदान करने से रोकने संबंधी आदेश तब तक के लिए पारित कर सकता है जब तक कमी पूरी न कर ली जाए और सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सामान्य जनता को सूचित न कर दिया जाए । ऐसे कार्यक्रम जारी रखने वाले और गैर-विनिर्दिष्ट डिग्रीयां प्रदान करने वाले निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 के तहत दंड के भागीदार होंगे।

\*\*\*\*\*